हिमाचल प्रदेश

"घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण विधेयक, 2005"

निदेशालय
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता हिमाचल प्रदेश

घरेलू हिंसा से महिलाओं को कुछ कानूनी राहत :

आजादी के बाद हिन्दुस्तानी औरतों के लिए गुरुवार 26 अक्तुबर, 2006 एक ऐतिहासिक दिन बन गया है। लम्बी जददोजहद के बाद घर के दायरे के अन्दर होने वाली हिंसा को न सिर्फ जुर्म माना गया है। बल्कि इससे बचाव को कानूनी अमलीजामा भी दे दिया गया है। **'घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण विधेयक 2005'** में हिंसा की परिभाषा का दायरा भी काफी बढ़ा दिया है। यह हर उस महिला पर लागू होगा,जो किसी घर के दायरे में रहती है। यह विधेयक इस मामलें में भी अहम है कि यह देश के सभी धर्मो की औरतों पर एक समान रुप से लागू होगा। हालांकि इस विधेयक को संसद ने पिछले 13 सितम्बर 2005 को मंजूरी दे दी थी लेकिन इसे लागू कैसे किया जाये, इसके नियम नहीं बन पाये थे। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने इस विधेयक को लागू करने के लिए व्यापक नियम बनाये और दिशा निर्देश तैयार किये। मंत्रालय द्वारा तैयार नियम की अधिसूचना 17 अक्तूबर 2006 को जारी हुई और यह गुरुवार 26 अक्तूबर 2006 से लागू हो गया है। यह कानून इस मायने में भी अहम है कि इसमें हिंसा की शिकार महिला को फौरी मदद पहुंचाने की भी गुंजाइश है। इसमें सजा देने भर पर जोर नहीं है बल्कि परेशान महिला को भटकना न पडे, इसका भी पूरा इन्तजाम किया गया है।

घरेलू हिंसा संरक्षण कानून का उदेश्य :

महिला के उपर घर के अन्दर होने वाली किसी हिंसा से बचाव हेतु कानूनी राहत पहुंचाना। विधेयक की परिभाषा के मुताबिक कोई भी औरत घरेलू हिंसा की शिकार है अगर उसके साथ घर का कोई पुरुष निम्न व्यवहार में शामिल रहता है।

विधेयक ने घरेलू हिंसा को पांच हिस्सों में बांटा है :—

(i) शारीरिक हिंसा।

(ii) लैगिक हिंसा।

(iii) मौखिक आरै भावानात्मक ,दुर्व्यवहार

(iv) आर्थिक बल प्रयोग और

(v) दहेज सम्बन्धी उत्पीडन।

शारीरिक हिंसा:—

- मारपीट करना,
- थप्पड मारना,

- ठोकर मारना,
- दांत काटना,
- लात मारना,
- मुक्का मारना,
- धक्का देना,
- धकेलना,
- किसी और तरीके से शारीरिक तकलीफ पहुंचाना,

लैंगिक हिंसा :–

- जबरदस्ती यौन सम्बन्ध बनाना,
- अश्लील साहित्य या कोई अन्य अश्लील तस्वीरों या सामग्री को देखने के लिए मजबूर करना,
- किसी दूसरे का मन बहलाने के लिए मजबूर करना,
- दुर्व्यवहार करने, अपमानित करने या नीचा दिखाने के लिए लैगिक प्रकृति का कोई दूसरा कर्म जो महिलाओं के सम्मान को किसी रुप में चोट पहुंचाता हो,
- बालकों के साथ यौनिक दुर्व्यवहार।

मौखिक और भावनात्मक हिंसा :–

- मजाक उडाना,
- गालियां देना,
- चरित्र और आचरण पर दोषारोपण,
- लडका न होने के लिए बेइज्जत करना,
- बच्चा न होने पर ताना देना,
- दहेज के सवाल पर अपमानित करना,
- स्कूल, कालेज या किसी अन्य शैक्षिक संस्थान में जाने से रोकना,
- नौकरी करने से रोकना,
- नौकरी छोडने के लिए मजबूर करना,
- महिला या उसे साथ रहने वाले किसी बच्चे–बच्चे को घर से जाने से रोकना,

- किसी व्यक्ति विशेष से मिलने से रोकना,
- मनपसन्द के खिलाफ व्यक्ति से शादी करने पर मजबूर करना,
- पन्सद के व्यक्ति से शादी करने से रोकना,
- आत्महत्या करने की धमकी देना,
- कोई और मौखिक या
- भावनात्मक दुर्व्यवहार।

आर्थिक हिंसा :–

- महिला या महिला के सन्तानों को भरण पोषण के लिए पैसा नही देना,
- महिला या उसकी सन्तानों का खाना, कपडा और दवाइयां जैसी चीजे मुहैया न कराना,
- जिस घर में महिला रह रही है, उस घर से उसे निकलने पर मजबूर करना,
- घर के किसी हिस्से में जाने या किसी हिस्से के इस्तेमाल से रोकना,
- किसी रोजगार को अपनाने में बाधा पहुंचाना ,
- महिला के वेतन या पारिश्रमिक को जबरदस्ती हडप लेना,
- कपड़े या दुसरे रोजमररा के घरेलू इस्तेमाल की चीजो को रोकना,
- अगर किराये के मकान में रह रही हो तो किराया न देना,
- बिना महिला की सूचना और सहमति के स्त्रीधन या अन्य मूल्यवान वस्तुओं को बेच देना या बन्धक रखना,
- स्त्रीधन को खर्च कर देना,

  बिजली आदि जैसी अन्य बिलों का भुगतान न करना।

दहेज से जुडा उत्पीड़न :

- दहेज के लिए किसी तरह की मांग,
- दहेज से जुड़े किसी अन्य उत्पीड़न में शामिल रहना। इस व्यापक हिंसा को जानना जरुरी है क्योंकि तभी यह समझना मुमकिन हो पायेगा कि असल में घरेलू हिंसा क्या है?

घरेलू हिंसा संरक्षण कानून के अर्न्तगत शिकायत किस के पास की जा सकती है :—

(i) सीधे तौर पर मैजीस्ट्रेट के पास या

(ii) संरक्षण अधिकारी जो सरकार द्वारा इस उद्देश्य हेतु नियुक्ति किया गया हो के माध्यम से

संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति :– हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः डब्ल्यू एल एफ ए(3)–1/98–1 दिनांक 9.1.2007 शिमला –2 के अनुसार समेकित बाल विकास स्कीम के अधीन पर्यवेक्षकों को संरक्षण अधिकारी घोषित किया गया है,

(iii) परामर्श दाता या गैर सरकारी संस्था जो परामर्श दाता के रुप में पंजीकृत हो।

हिंसा की शिकायत कैसे होगी :–

संरक्षण अधिकारी, हिंसा की शिकायत मिलने पर एक दिये गये फर्म पर घरेलू हिंसा की रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे मैजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेगे। साथ ही उस रिपोर्ट की एक कॉपी उस थाने और सेवा प्रदाताओं को भी भेजी जायेगी,जहां से घरेलू हिंसा की शिकायत मिली है। अगर सेवा प्रदाता को हिंसा की कोई जानकारी मिलती है तो वह भी उसकी रिपोर्ट तैयार कर मैजिस्ट्रेट व संरक्षण अधिकारी को देगा। अगर किसी सेवा प्रदाता को इ--मेल या टेलीफोन या पीड़ित व्यक्ति से या किसी और जरिए से घरेलू हिंसा होने या इसकी आशंका की जानकारी की पुखता जानकारी मिलती है तो ऐसी हालात में वे पुलिस की सहायता मांगेंगे। फिर पुलिस के साथ वे घटना सथल पर जायेंगे और जांच पड़ताल की रिपोर्ट जितनी जल्दी हो सके, मैजिस्ट्रैट को मुहैया कराएंगे। यही नही संरक्षण अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि पीड़ित व्यक्ति को इस कानून तहत शिकायत करने में मदद करे। उसे पीड़ित महिला की जबान में उसके अधिकारों की भी जानकारी देनी होगी।

संरक्षण अधिकारियों के कर्त्तव्य :

- पीड़ित को सहायता देना।
- हिंसा के शिकार को उसकी जबान में अधिकारों के बारे में जानकारी देना।
- आवेदन तैयार करने में मदद करना।
- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से कानूनी मदद दिलाना।
- हिंसा की शिकार किसी व्यक्ति या बच्चें को चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाना, साथ ही चिकित्सा सुविधा के लिए वाहन मुहैया कराना।
- आश्रय के लिए परिवहन सेवा दिलाने में मदद करना।
- इस बात की गांरटी करना कि शिकायत करने वाली या बच्चे का उत्पीड़न न किया जाए।
- पीड़ित व्यक्ति या महिलाओं, पुलिस और सेवा प्रदाता के बीच सम्पर्क रखना।

मैजिस्ट्रैट के लिखित निर्देश पर निरीक्षण अधिकारीः—

- सांझी गृहस्थी के निवास का निरिक्षण करेगा और अन्तरिम राहत के लिए आदेश पारित करेगा।
- समुचित जांच के बाद उपलब्धियों, आस्तियों, बैंक खातो या कोड द्वारा मांगे गए अन्य दस्तावेजों की रिपोर्ट फाईल करेगा।
- पीड़ित महिला को उसके व्यक्तिगत सामान का कब्जा बहाल कराएगा। इसमें उपहार, जेवर और सांझी गृहस्थी का सामान भी शामिल होगा।
- बच्चों की कस्टडी फिर से दिलाने में मदद करेगा।
- यदि घरेलू हिंसा में किसी हथियार का इस्तेमाल किया जा रहा या किये जाने की आंशका है तो पुलिस की मदद से उसे जब्त कराएगा।

विधेयक अर्न्तगत कौन लाभान्वित होगा— हर महिला के लिए है यह कानून

घरेलू हिंसा से बचाव हेतु कानून सिर्फ पत्नियों के लिए ही नही, अपितु यह कानून हर उस स्त्री जाति के लिए है जिसके साथ घर के दायरे में हिंसा हो रही है। यह मां, बहन, बेटी, भाभी, बहू यानी घर में रहने वाली सभी औरतों के लिए है। यह कानून सभी धर्मो जातियों तथा समुदाय की महिलाओं के लिए समान रुप में लागू होता है।

अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा कौन दायर कर सकेगा ?

स्वयं घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला या कोई ऐसा व्यक्ति जिसको घरेलू हिंसा होने की जानकारी का पुख्ता (विश्वसनीय) आधार हो या घरेलू हिंसा होने की आंशका हो।

कानून के अन्तर्गत घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला को दी जाने वाली मदद या अधिकार :

- पति या ससुराल वाले घर में रहने का या सांझी गृहस्थी के निवास में रहने का अधिकार चाहे पीडित महिला की उस घर में कोई हिस्सेदारी है या नही।
- हिंसा करने वाले व्यक्ति की ऐसे कार्यस्थल पर या अन्य किसी जगह पर जाने की रोक जहां पर की पीडित महिला का प्रायः आना जाना हो।
- पीड़ित व्यक्ति के साथ सम्पर्क साधने पर रोक।
- महिला तथा उसके रिश्तेदारो पर हिंसा करने की मनाही।
- पीड़ित महिला को बच्चें या बच्चों की अस्थायी कस्टडी।

दोषी व्यक्ति को सजा :

दोषी व्यक्ति द्वारा संरक्षण आदेश की उल्लघंना गैर जमानती एवं दण्डनीय अपराध माना जाएगा। तथा अपराधी को **एक साल की कैद या 20,000 रुपये** जुर्माना या दोनो सजा के रुप में होंगे।

राजकीय मुद्रणालय, हि0 प्र0, शिमला—4150—आई0सी0डी0एस0/2007—30—3—2007—5,000.